

फार्म - तैतालीस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-58(1) देखें]

प्रदेश बाहर से प्रदेश में होकर परिवहन किये जाने वाले माल के लिए परिवहन प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र
(तीन प्रतियों में प्रवेश जांच चौकी पर प्रस्तुत किया जाएगा)

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,

वाणिज्य कर जांच चौकी

-----उत्तर प्रदेश।

महोदय,

मैं-----पुत्र/पुत्री/पत्नी-----निवासी/निवासिनी-----

-----प्रास्थिति-----

(ड्राईवर अथवा वाहन का प्रभारी व्यक्ति) एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि :

1- नीचे दिये गये विवरण के वाहन द्वारा, पृष्ठ भाग में दिये गये विवरण के अनुसार माल का परिवहन किया जा रहा है:

a	वाहन संख्या																					
b	वाहन का प्रकार																					
c	इंजन नंबर																					
d	चेसिस नंबर																					
e	वाहन स्वामी का नाम व पता																					
f	ट्रान्सपोर्टर का नाम व पता - - - - -																					
g	यूपीवैट अध्यादेश के अंतर्गत ट्रान्सपोर्टर का सर्विस प्रोवाइडर नंबर [SPN]																					
h	द कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 के अंतर्गत ट्रान्सपोर्टर की पंजीयन संख्या																					
i	आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थाई खाता संख्या [PAN]																					
j	ट्रान्सपोर्ट कंपनी / कैरियर / फॉरवर्डिंग एजेंट का फोन नंबर, यदि कोई हो																					
k	ड्राईवर का ड्राइविंग लाईसेंस नंबर																					

2- उपरोक्त वर्णित वस्तुओं सहित वाहन की यात्रा----- (स्थान का नाम) से प्रारंभ होगी जो उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित है।

3- उपरोक्त वर्णित वाहन क्लॉज (1) में अंकित माल सहित दिनांक----- को या उससे पूर्व प्रदेश के बाहर जाएगा और प्रदेश के बाहर जाने के पूर्व इस घोषणा पत्र की दो प्रतियां प्रभारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश वैल्यू ऐडेड चेक पोस्ट----- (निगमन चेक पोस्ट का नाम) के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

4- मैं, वाहन चालक / वाहन का प्रभारी व्यक्ति, वाहन स्वामी की ओर से, उपरोक्त वर्णित माल को प्रान्त के बाहर परिवहन करने की जिम्मेदारी लेता हूँ।

5- मैं उपरोक्त माल को उत्तर प्रदेश से होकर ले जाने के लिए परिवहन प्राधिकार पत्र जारी करने का निवेदन करता हूँ।

वाहन के प्रभारी व्यक्ति / ड्राईवर के हस्ताक्षर
वाहन के प्रभारी व्यक्ति / ड्राईवर का नाम व पता

केवल कार्यालय प्रयोगार्थ हेतु

उपरोक्त वर्णित वाहन के ड्राईवर / वाहन के प्रभारी व्यक्ति की प्रार्थना पर, ड्राईवर / वाहन के प्रभारी व्यक्ति को उपरोक्त वर्णित माल को उत्तर प्रदेश राज्य से होकर ले जाने की अनुमति दी जाती है। ड्राईवर या वाहन का प्रभारी व्यक्ति, अनुमति पत्र की दो प्रतियां पृष्ठभाग में अंकित विवरण के अनुसार माल सहित उत्तर प्रदेश वैल्यू ऐडेड टैक्स चेक पोस्ट----- के प्रभारी अधिकारी के समक्ष दिनांक----- तक प्रस्तुत करेगा और उस चेक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी द्वारा एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करेगा। वह ऐसे माल का परिवहन उत्तर प्रदेश के बाहर करेगा और ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि वाहन स्वामी अथवा वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा माल की बिक्री उत्तर प्रदेश के भीतर ही कर दी गयी।

निगमन चेक पोस्ट के रजिस्टर संख्या-----के
क्रमांक----- दिनांक----- पर इन्द्राज किया गया
निगमन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर

मुहर

प्रवेश चेक पोस्ट के रजिस्टर संख्या-----के
क्रमांक----- दिनांक----- पर इन्द्राज किया गया
प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर

मुहर

पृष्ठभाग

क्र०सं०	जी० ए० संख्या	तिथि	माल के पारेषक का नाम व पता	माल के पारेषिती का नाम व पता	बिल / चालान नंबर व तिथि	माल का विवरण			
						वस्तु का नाम	माल की मात्रा या परिमाण	नगों की संख्या	वस्तु का मूल्य

प्रभारी अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर
प्रवेश जांच चौकी-----
मुहर

हस्ताक्षर
वाहन का प्रभारी व्यक्ति / ड्राइवर

प्रभारी अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर
निर्गमन जांच चौकी-----
मुहर